

**न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरौही**  
**(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)**

**पंचायत निगरानी संख्या: 88 / 2022**

**प्रार्थी**

छगनलाल पुत्र कपूराराम जी, जाति— नाई, निवासी—पालडी एम., तह. शिवगंज व जिला—सिरौही

**बनाम**

**अप्रार्थीगण**

- (1) सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम., तहसील— शिवगंज, जिला सिरौही
- (2) ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत, पालडी एम, तहसील—शिवगंज, जिला सिरौही
- (3) विकास अधिकारी, पंचायत समिति, शिवगंज, जिला— सिरौही

**“निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”**

**उपस्थिति:**

- (1) अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रार्थी की ओर से
- (2) अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल, अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से

**—: निर्णय :-**

**दिनांक 26 मार्च, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थी की ओर से यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध जारी नोटिस क्रमांक: 64 / 2022-2023 दिनांक 02.7.2022 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

(2) प्रस्तुत निगरानी आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये एवं ग्राम पंचायत, पालडी एम से प्रश्नगत नोटिस से संबंधित रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि तलब की गई। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश धवल उपस्थित हुये एवं अप्रार्थी संख्या 1 (एक) की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। जबकि प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को नोटिस की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुये।

(3) बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि प्रार्थी को ग्राम पंचायत पालडी एम द्वारा वर्ष 1982 में अपने व्यवसाय हेतु भूमि 10X10 कुल 100 वर्गफीट केबिन भूमि 10/- रुपये प्रतिमाह की दर से किराये पर दी गई थी जिस पर प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से वर्ष 1982 से हेयर कटिंग सेलुन का व्यवसाय कर अपने परिवार का भरण पोषण करता आ रहा है। प्रार्थी ने ग्राम पंचायत की स्वीकृति से वर्ष 2010 में प्रार्थी को व्यवसाय हेतु किराये पर आवंटित भूमि पर पक्की दुकान का निर्माण करवाया है, जिसमें लगभग 1,50,000/- रुपये प्रार्थी ने खर्च किये हैं और प्रार्थी नियमित रूप से किराया ग्राम पंचायत में जमा करवाता आ रहा है। दिनांक 31.3.2020 की केबिन की बकाया किराया राशि 740/- (अक्षरे रुपये सात सौ चालीस) भी पंचायत में जमा करवाई है और अप्रैल 01 अप्रैल, 2010 से 31 अक्टूबर, 2020 तक ग्राम पंचायत द्वारा किराया राशि की बढ़ोतरी कर प्रतिमाह 246/- रुपये (अक्षरे रुपये दो सौ छियालीस) की दर से नोटिस प्रेषित कर राशि रुपये 29,536/- (अक्षरे रुपये उनतीस हजार पांच सौ छतीस) की मांगनी किरने पर प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.2.2021 को दिनांक 01.4.2020 से 31.10.2020 तक की किराया राशि रुपये 29,536/- (अक्षरे रुपये उनतीस हजार पांच सौ छतीस) जरिये रसीद संख्या 65 दिनांक 23.2.2021 से

.....पेज दो पर

**अति. जिला कलेक्टर**  
**सिरौही (राज.)**



पंचायत कोष में जमा करवाये हैं। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत, पालडी एम के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा गरीब व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने की नियत से नियम विरुद्ध नवम्बर 2020 से अप्रैल 2022 तक केबिन किराया राशि प्रतिमाह 1,000/- (अक्षरे एक हजार रुपये) की दर से रुपये 18,000/- (अक्षरे अठारह हजार रुपये) जमा करवाने हेतु नोटिस क्रमांक 64 दिनांक 24.4.2022 को प्रेषित कर उक्त बकाया राशि 07 दिन में जमा करवाने हेतु प्रेषित किया है, जो राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरित है एवं ग्राम पंचायत, पालडी एम के सरपंच ने नियमों का उल्लंघन करते हुए हठधर्मिता व राजनैतिक द्वेषतावश प्रार्थी को नोटिस प्रेषित किया है। यह कि वर्ष 2020 व 2021 में पूर्ण रूप से कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन होने से राज्य सरकार द्वारा किराया माफ किया गया था उसके बावजूद भी किराया राशि की मांग की जा रही है जो गलत की जा रही है। यह कि राजस्थान पंचायती राज नियमों के तहत जिस केबिन भूमि का माह अक्टूबर, 2020 तक किराया रुपये 246/- (अक्षरे रुपये दो सौ छियालीस) प्रतिमाह था उसका किराया अचानक से राशि रुपये 1,000/- (अक्षरे रुपये एक हजार) प्रतिमाह बढ़ाकर प्रतिमाह रुपये 1,000/- (अक्षरे रुपये एक हजार) की दर से नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2022 तक का किराया राशि रुपये 18,000/- (अक्षरे रुपये अठारह हजार) जमा करवाने हेतु नोटिस जारी किया है, जो नियमों के विपरित है। ग्राम पंचायत को जिस केबिन का प्रतिमाह किराया रुपये 246/- (अक्षरे रुपये दो सौ छियालीस) निर्धारित था उस केबिन के किराये की राशि प्रतिमाह 1,000/- (अक्षरे एक हजार रुपये) बढ़ाने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था एवं न ही राजस्थान पंचायती राज नियमों में ऐसा कोई प्रावधान है, बल्कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164 के अनुसार प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि ही बढ़ाई जा सकती है और यदि ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा पारित किया गया है तो ऐसा प्रस्ताव भी राजस्थान पंचायती राज नियमों के विपरित होने से अपास्त किये जाने योग्य है। यह कि अक्टूबर, 2002 तक प्रतिमाह नियत किराया राशि रुपये 246/- की दर से प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत राशि बढ़ोतरी करते हुए प्रतिमाह का बकाया किराया राशि पंचायत कोष में जमा करवाने हेतु प्रार्थी सहमत व तैयार हैं, लेकिन ग्राम पंचायत, पालडी एम के सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी द्वारा नियम विरुद्ध किराया राशि में बढ़ोतरी कर जो नोटिस प्रेषित किया है वह कानूनन गलत है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी को जारी उक्त नोटिस दिनांक 24.6.2022 को निरस्त किया जावे एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164 के तहत विधि अनुसार किराया राशि लेने हेतु ग्राम पंचायत, पालडी एम को निर्देशित किया जावे। जबकि अप्रार्थी संख्या-1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता श्री धवल ने अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि सन् 1982 में ग्राम पंचायत पालडी द्वारा अपनी स्वयं के आय का स्रोत बढ़ाने के लिये ग्राम पंचायत पालडी एम ने अपनी स्वयं के मालिकी स्वामित्व के भूखण्ड पर बनी हुई 10 बाय 10 वर्गफिट केबिन स्वरोजगार हेतु प्रार्थी को अस्थायी तौर पर आवंटित कर हैयर कटिंग सैलून का व्यवसाय करने हेतु दी थी। ग्राम पंचायत, पालडी एम ने प्रार्थी को स्थायी रूप से आवंटित नहीं कर केवल मात्र अस्थायी रूप से किराये पर दी है। अप्रार्थी ग्राम पंचायत, पालडी एम ने अपने मालिकी स्वामित्व के उक्त केबिन को बतौर किरायेदार प्रार्थी को आवंटित किया है लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थी ग्राम पंचायत पालडी एम की जानकारी व सहमति के बिना उक्त किराये के परिसर पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम व नियमों के विपरित अपनी दबंगता दिखाते हुये पक्का निर्माण कार्य किया है। प्रार्थी को उपरोक्त भूमि पर केबिन की जगह पक्की दुकान बनाने की अप्रार्थी ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई। प्रार्थी

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)



द्वारा अप्रार्थी ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अस्थायी रूप से व्यवसाय करने हेतु आवंटित परिसर का किराया नियमित रूप से अदा नहीं किया जा रहा था जिस पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा नोटिस क्रमांक 20 दिनांक 22.04.2022 को प्रार्थी को प्रेषित किये जाने पर प्रार्थी ने किराया राशि 18000/- रुपये दिनांक 22.04.2022 तक अदा नहीं की है तथा प्रार्थी द्वारा नवम्बर, 2020 से किराया राशि अदा नहीं की जा रही है और उक्त परिसर पर प्रार्थी द्वारा व्यवसाय नहीं किया जाकर प्रार्थी ने अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित कर दी है। प्रार्थी द्वारा नवम्बर माह के बाद ग्राम पंचायत के मालिकी व स्वामित्व के केबिन का किराया नियमित रूप से अदा नहीं किये जाने पर ग्राम पंचायत, पालडी एम ने प्रार्थी को व्यक्तिगत रूप से किराया राशि अदा करने की मांग की, लेकिन प्रार्थी द्वारा नवम्बर, 2020 के बाद भी नियमित रूप से किराया की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर दिनांक 28.10.2020 को ग्राम पंचायत, पालकी एम द्वारा पंचायत सदस्यों की मौजूदगी में बैठक में यह निर्णय पारित किया गया कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अस्थायी रूप से ही गई दुकानों का किराया काफी समय वर्षों से जमा नहीं करवाया जा रहा है तथा समस्त किरायेदारों को नोटिस जारी करना एवं किराये राशि में अप्रार्थी ग्राम पंचायत पालकी एम में संचालित अन्य दुकानों की किराया राशि की तुलना में किराया अत्यन्त कम होने से ग्राम पंचायत, पालडी एम के आय को स्रोत बढ़ाने के लिये ग्राम पंचायत पालडी एम ने किराये की राशि पक्की दुकानों का किराया रुपये 1,000/- (अक्षरे एक हजार रुपये) प्रतिमाह किये जाने का निर्णय प्रस्ताव संख्या 03 में 04 के द्वारा बैठक में सदस्यों की मौजूदगी में पारित किया तथा उक्त प्रस्ताव के अनुसरण में दिनांक 22.04.2022 को अप्रार्थी ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा नोटिस क्रमांक 20 प्रार्थी को जारी कर किराया राशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया है। उक्त नोटिस अप्रार्थी ग्राम पंचायत पालडी एम ने अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में दिया है उक्त नोटिस प्रार्थी को प्राप्त होने के बावजूद भी प्रार्थी द्वारा किराया राशि अदा नहीं किये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण अप्रार्थी ग्राम पंचायत पालडी एम को आज दिनांक मे नहीं दिया है तथा प्रस्ताव संख्या 03 व 04 की जानकारी प्रार्थी को हो जाने के बावजूद भी उक्त प्रस्ताव संख्या 03 व 4 को प्रार्थी द्वारा किसी सक्षम न्यायालय/सिविल न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है उक्त प्रस्ताव संख्या आज भी विधिवत अस्तित्व में है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा उक्त नोटिस क्रमांक 20 दिनांक 22.04.2022 प्रेषित किये जाने के बाद दिनांक 24.06.2022 को नोटिस क्रमांक 64 प्रेषित कर बकाया राशि जमा करवाने हेतु जारी किया गया है व बकाया किराया राशि जमा कराने हेतु नोटिस संख्या 70 दिनांक 02.7.2022 को भी जारी किया गया है। उक्त नोटिस क्रमांक 20 व 64 आज भी विधिवत् प्रभाव में है। प्रार्थी द्वारा नवम्बर, 2020 से नियमित रूप से किराया भी अदा नहीं कर रहा था जिससे पंचायत की निजी आय प्रभावित हो रही थी। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में प्रार्थी को नोटिस क्रमांक 20, 64 व 70 जारी किया है जो आज भी प्रभाव में है। ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा जारी उक्त नोटिसों का प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत, पालडी एम. को जवाब प्रस्तुत नहीं किया है व न ही किराया राशि ग्राम पंचायत को अदा की गई है। प्रार्थी अपनी हठधर्मिता व दबंगता से उक्त किराये के परिसर में व्यवसाय कर रहा है, लेकिन किराये की राशि पंचायत को अदा नहीं कर रहा है व न ही परिसर खाली कर रहा है। उक्त प्रश्नगत सम्पत्ति ग्राम पंचायत, पालडी एम. के मालकी व स्वामित्व की सम्पत्ति है, जो ग्राम पंचायत पालडी एम द्वारा प्रार्थी को अस्थाई तौर पर किराये पर दी गई है तथा इसका किराया भी प्रार्थी द्वारा नियमित रूप से अदा नहीं किया जा रहा है, इसलिये ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है। अतः प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

.....पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)



(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, पालडी एम. द्वारा प्रार्थी के विरुद्ध नोटिस क्रमांक: 64/2022-2023 दिनांक 24.6.2022 को इस आशय का जारी किया गया है कि "ग्राम पंचायत भूमि पर केबिन/दुकान आपको ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित शर्तों पर आवंटित किया गया था। विगत माह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2022 तक आपके केबिन किराये की राशि रुपये 18,000/- बकाया चल रहा है। उक्त राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाने हेतु नोटिस क्रमांक 20 दिनांक 22.4.2022 को जारी किया गया था जिसके बाद भी किराया राशि जमा नहीं करवाई गई है व आप जानबूझ निर्धारित आवंटन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिये नोटिस प्राप्ति की सात दिन के भीतर आदिनांक तक बकाया राशि ग्राम पंचायत, पालडी एम में जमा करवाये, अन्यथा आपका विद्युत कनेक्शन विच्छेद करवाने की कार्यवाही हेतु विद्युत विभाग को लिखा जायेगा व केबिन/दुकान से बेदखल की कार्यवाही की जायेगी एवं राशि जमा हेतु पी.डी. आर एक्ट में कार्यवाही की जायेगी।"

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा प्रार्थी को उक्त बकाया किराया राशि जमा करवाने हेतु नोटिस क्रमांक: 20 दिनांक 22.4.2022 को एवं नोटिस क्रमांक 70 दिनांक 02.7.2022 को जारी किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध संबंधित रेकॉर्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम की बैठक दिनांक 28.10.2020 में प्रस्ताव संख्या 3 पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा अस्थाई रूप से दी गई दुकानों का काफी समय से किरायेदारों द्वारा किराया जमा नहीं करवाने से समस्त किरायेदारों को नोटिस जारी करने एवं नियमानुसार प्रति वर्ष 10 प्रतिशत राशि अधिक करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम पंचायत, पालडी एम की उक्त पंचायत बैठक दिनांक 28.10.2020 में प्रस्ताव संख्या 4 में ग्राम पंचायत द्वारा अस्थाई किराया पर दी गई दुकानों, जिनमें पक्की दुकानों का रुपये 1,000/- (अक्षरे रुपये एक हजार) प्रतिमाह, कच्ची दुकान का रुपये 500/- (अक्षरे रुपये पांच सौ) प्रतिमाह एवं लॉरी का रुपये 300/- (अक्षरे रुपये तीन सौ) प्रतिमाह करने का निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा ग्राम पंचायत, पालडी एम की उक्त बैठक दिनांक 28.10.2020 में पारित उक्त प्रस्ताव संख्या 3 व 4 के अनुसरण में प्रार्थी को ग्राम पंचायत द्वारा किराये पर आवंटित केबिन/दुकान का बमाह नवम्बर, 2020 से अप्रैल, 2022 तक प्रतिमाह रुपये 1,000/- (अक्षरे रुपये एक हजार) की दर से बकाया किराया राशि रुपये 18,000/- (अक्षरे रुपये अठारह हजार) ग्राम पंचायत में जमा करवाने हेतु प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 163 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत की आबादी भूमि को अस्थाई उपयोग हेतु किराये पर दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा दुकानें और अन्य वाणिज्यिक स्थल तीन वर्ष से अनाधिक के लिये नियम 151 में वर्णित सदस्यों की समिति द्वारा खुली नीलामी के जरिये दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 164(3) ऐसे परिसरों को किराये पर देने के पट्टा करारों में किराया रकम में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाने की शर्त सम्मिलित होगी तथा नियम 164(4) के अनुसार यदि परिसर 3 वर्ष की समय सीमा के पश्चात् खाली नहीं किये जाये, या वे करार के निर्बन्धनों के अतिक्रमण में किसी भी अन्य व्यक्ति को उप पट्टे पर दे दिये जाये अथवा किराया नियमित रूप से जमा नहीं कराया जाये, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिसर की बेदखली के लिये हेतुक दर्शित करने का नोटिस देने के बाद परिसर खाली करवाया जायेगा, यदि संबंधित पंचायत या पंचायत समिति द्वारा ऐसा निवेदन किया गया हो। राजस्थान पंचायती राज नियम, .....पेज पांच पर

मति. जिला कलक्टर  
सिरोही (राज.)



1996 के नियम 165(5) के अनुसार पंचायत या पंचायत समिति तीन वर्ष की अवधि बढ़ाने के विषय पर बातचीत भी कर सकेगी, किन्तु ऐसे मामलों में पारस्परिक करार द्वारा किराये में की जाने वाली वार्षिक वृद्धि की रकम 20 प्रतिशत होगी।

चूंकि विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा केबिन रखने हेतु किराये पर दी गई भूमि पर प्रार्थी ने पंचायत की अनुमति के बिना पक्की दुकान बनाई है, जबकि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा अस्थाई उपयोग हेतु पंचायत के स्वामित्व की भूमि केबिन रखने हेतु किराये पर आवंटित की गई है। अप्रार्थी सरपंच, ग्राम पंचायत, पालडी एम के जवाब एवं ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा दिनांक 28.10.2020 को पारित उक्त प्रस्तावों से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, पालडी एम द्वारा पंचायत की आय बढ़ाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अस्थाई उपयोग हेतु किराये पर आवंटित केबिन/दुकानों के परिसर की प्रतिमाह किराया राशि में बढ़ोतरी करते हुए प्रार्थी को बकाया किराया राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाने हेतु उक्त नोटिस जारी किये गये हैं, जो विधि अनुरूप है।

#### आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत निगरानी आवेदन प्रार्थी, अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26 मार्च, 2025 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सिरोही